

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19072022-237369
SG-DL-E-19072022-237369असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2022/आषाढ़ 28, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 193
No. 366]	DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2022/ASHADHA 28, 1944	[N. C. T. D. No. 193

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

फा. सं. 6/18/2020—न्याय/अधी.विधि./1213—1219.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्न अधिकारियों को नियुक्त/पदोन्नत करते हैं:-

- (1) श्री गगनदीप जिंदल (डीएचजेएस में तदर्थ आधार पर वर्तमान नियुक्ति) को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 7 (1) (क) के अंतर्गत दिनांक 01.07.2022 को नियमित रिक्ति हेतु नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु तथा डीएचजेएस में नियमित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में परीक्षा आधार पर रखते हैं।
- (2) सुश्री शिल्पी जैन दिल्ली न्यायिक सेवा अधिकारी को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के पूर्वोक्त अधिकारी के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के पद रिक्त होने के पश्चात फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के एक पद हेतु तदर्थ आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय को अपेक्षित वचनबंध को प्रस्तुत करने के अधीन उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति हेतु; दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग में सुश्री शिल्पी जैन को तदर्थ आधार पर पदोन्नति में समावेशन अथवा वरिष्ठता का

कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होगा तथा ऐसे फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के अनिरंतरता के मामले में अधिकारी को उसके दिल्ली न्यायिक सेवा के मूल कैडर में वापिस भेज दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 19th July, 2022

F. No. 6/18/2020-Judl./Suptlaw/1213-1219.— The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint/promote the following officers:—

- (1) For the appointment of Mr. Gagandeep Jindal (presently appointed on ad-hoc basis in DHJS) on regular basis against the regular vacancy which arose on 01.07.2022 under Rule 7(1)(a) of Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 and to place him on probation in the Delhi Higher Judicial Service for a period of two years from the date he joins the regular post in DHJS.
- (2) For the appointment of Ms. Shilpi Jain, Officer of Delhi Judicial service, to Delhi Higher Judicial Service on ad-hoc basis against one post of Fast Track Special Courts arising consequent upon the aforesaid Officer vacating the post of Fast Track Special Courts, subject to her furnishing requisite undertaking to the High Court of Delhi, from the date she assumes charge. The promotion on ad-hoc basis shall not confer any right of absorption or seniority on Ms. Shilpi Jain in the cadre of Delhi Higher Judicial Service and in case of discontinuation of such Fast Track Special Courts, the officer shall revert back to her substantive Cadre of Delhi Judicial Service.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)